

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2163 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/02/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा० मु० घोषणा सं० 314/2018 डीडिहाट (ग्राम ननपापो) में
हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं०- 8बी/यू०सी०पी०/०९/३९/२०२३/एफ.सी./दि० 06.01.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन
आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 4796/12-1 दिनांक 21.02.2025
द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही
करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

ok

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- ५७९६ / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, २१ फरवरी, 2025 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा० मु० घोषणा सं० 314/2018 डीडिहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०९/३९/२०२३/एफसी० दिनांक 06.01.2025 व दिनांक 02.12.2024 के आयोजित आर०ई०सी० की बैठक।

प्रहोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में आयोजित आर०ई०सी० की बैठक दिनांक 02.12.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों व भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है-

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	The DFO shall book the case under IFA, 1927 and action taken report shall be submitted.	दिनांक 02.12.2024 को आयोजित आर०ई०सी० की बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सम्बन्धितों के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के स्थान पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 में केश पंजीकृत कर लिया गया है (प्रपत्र संलग्न)।
2	The DFO shall visit the area and submit current status of approach road.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि एप्रोच मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है, व उक्त स्थल की स्थिति पूर्ववत ही है।
3	The DFO shall submit status of construction of heipad, if any.	हैलीपैड हेतु प्रस्तावित स्थल पर भी वर्तमान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है व उक्त स्थल की स्थिति भी पूर्ववत ही है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।